

495(9)

29/6/22

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-4392 दिनांक-09.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा० आशुतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचाधामन, किशनगंज दिनांक-18.02.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा० कुमार के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं०-158(9) दिनांक-28.01.2019 एवं संशोधित संकल्प सं०-1007(9) दिनांक-11.09.2019 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तदपश्चात् विभागीय पत्रांक-642(9) दिनांक-18.05.2020 द्वारा डा० कुमार से द्वितीय कारण-पृच्छा की गई। द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में दिनांक-03.12.2020 को दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए भी उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अन्ततः द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने के कारण सक्षम प्राधिकार द्वारा डा० कुमार को सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. उक्त शास्ति प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-3340 दिनांक-11.02.2022 द्वारा आयोग की सहमति एवं दिनांक-21.06.2022 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या-06 पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

4. तदनुसार डा० आशुतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचाधामन, किशनगंज को दिनांक-18.02.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेश:-संकल्प की प्रति डा० आशुतोष कुमार एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राम ईश्वर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 9/आ०-०९-०९/२०२०(स्वा०) 495(9)

पटना, दिनांक: 29/6/22

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ/सिविल सर्जन, किशनगंज/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डा० आशुतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोचाधामन, किशनगंज, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

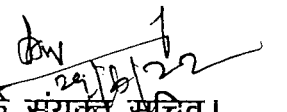
प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—अपर मुख्य सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।